राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज0 जयपुर

क्रमांक :एफ26(4)आशा–सह./आईईसी/आईसीडीएस/15/ 141735 दिनांक : 24.10.16.

<u>आदेश</u>

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशा–सहयोगिनीयों के शैक्षणिक योग्यता के संबंध में समय–समय पर परिपत्र/ आदेश/ दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते रहे हैं, जिसके अनुसार आशा–सहयोगिनियों के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता– न्यूनतम दसवीं पास होना आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 10वीं पास की योग्यता में राज्य के 07 जिलों यथा– बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर में शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता का प्रावधान किया गया है। इसी के अनुरूप उपरोक्त 07 जिलों में आशा–सहयोगिनियों के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान की जाती है।

शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता–

(अ) **शहरी क्षेत्र–** शहरी क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।

(ब) **ग्रामीण क्षेत्र–** महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले जिले 1. बाडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ 5. सिरोही 6. टोंक 7. उदयपुर में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित दसवीं पास शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए 8वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। **<u>उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है।</u>**

उपरोक्त 7 जिलो के अतिरिक्त अन्य जिलों में चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देय नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आशा–सहयोगिनियों के चयन, प्रशिक्षण एवं हटाने के संबंध में समस्त परिपत्र/आदेश/दिशा–निर्देश पूर्व की भाँति यथावत रहेगे।

उपरोक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ0 समित शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज0 जयपुर

क्रमांक :एफ26(4)आशा–सह./आईईसी/आईसीडीएस/15/ 141736-71 दिनांक : 24.10.16

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर
5. निदेशक–आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
6. जिला कलेक्टर/सीईओ बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से परिपत्र से अवगत कराने का श्रम करें।
8. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने का श्रम करें।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त जिला आशा समन्वयक, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
10. उपनिदेशक कम एसीपी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, को विभागीय वैबसाईट को अपलोड करने हेतु।
11. सर्वर रूम, एनएचएम।

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर